झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
एकादश (बजट)–सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 12 फाल्गुन, 1944 [श0] / 03 मार्च, 2023 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
* 138	विधि–03	श्री ढूलू महतो	धारा में परिवर्तित करना	विधि	21.02.23
139	स0–12	श्री मनीष जायसवाल	सेन्टर संचालित करना	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	24.02.23
140	स0–06	डा0 लम्बोदर महतो	कानूनी कार्रवाई करना	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.02.23
141	स0–07	श्री उमाशंकर अकेला	अंचलाधिकारी पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.02.23
142	स0–15	श्री रामचन्द्र सिंह	स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	24.02.23
143	स0–17	श्री लोबिन हेम्ब्रम	पुर्नवास एवं रोजगार देना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	23.02.23
144	स0–08	श्री किशुन कुमार दास	चिकित्सक का पदस्थापन	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.02.23
145	विधि–01	श्री कमलेश कुमार सिंह	न्यायालय की स्थापना	विधि	17.02.23
146	स–02	श्री भानु प्रताप शाही	अस्पताल निर्माण कराना	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	21.02.23

* विधि विभाग के ज्ञापांक- 457 दिनांक- 22/02/23 द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
147	स–01	श्री कमलेश कुमार सिंह	स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.02.23
148	रा–18	सुश्री अम्बा प्रसाद	कम्पनियों पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	23.02.23
149	विधि–02	श्री राजेश कच्छप	नियुक्ति में प्राथमिकता देना	विधि	21.02.23
150	रा0–16	श्री लोबिन हेम्ब्रम	अस्तित्व रक्षार्थ अक्षूण रखना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	23.02.23
151	रा–06	श्री अमित कुमार यादव	मुआवजा राशि का भुगतान	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.02.23
152	स0–14	श्री सरयू राय	कर्मियों की नियुक्तियाँ करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.02.23
153	रा–08	श्री ढुलू महतो	भूमि अधिग्रहण करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.02.23
154	श्रनि–01	श्री विनोद कुमार सिंह	राशि बढ़ाना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	14.02.23
155	रा0–20	श्री रणधीर कुमार सिंह	बंदोबस्ती का पर्चा निर्गत करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	24.02.23
156	श्रनि–04	श्री रामचन्द्र सिंह	शैक्षणिक सत्र शुरूआत करना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	24.02.23
157	रा–09	श्री किशुन कुमार दास	पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन का लाभ	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.02.23
158	स0–12	श्री उमाशंकर अकेला	कर्मियों पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.02.23
159	स0–10	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	कर्मचारियों एवं प्रबंधन पर कार्रवाई	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	23.02.23
160	स0–07	डॉ0 इरफान अंसारी	डॉक्टरों का पदस्थापन करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	22.02.23
* 161	रा–15	श्री अमित कुमार मण्डल	गॉवों को सड़क से जोड़ना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	23.02.23
162	रा0–14	डॉ0 नीरा यादव	जमीन मूल रैयत को दिलाना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	23.02.23

क्र0पृ0उ0/–

* राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक-786 दिनांक-27/02/23 द्वारा याचिका निरस्त

01	02	03	04	05	06
163	रा0–02	श्री अमर कुमार बाउरी	जमीन बन्दोबस्त करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.02.23
164	स–05	श्री बिरंची नारायण	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	21.02.23
165	रा0–03	डॉ0 नीरा यादव	मुआवजा दिलाना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.02.23
166	स0–04	श्री समीर कुमार मोहन्ती	स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव की व्यवस्था	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	21.02.23
167	स0–01	श्री भानु प्रताप शाही	दिशा निर्देश देना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.02.23
168	रा0–05	श्री मथुरा प्रसाद महतो	नियमितिकरण करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.02.23

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

राँची
दिनांकः–03 मार्च, 2023 (ई0)।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–06/2020–636/वि0स0, राँची, दिनांकः– 27/02/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2023
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–06/2020–636/वि0स0, राँची, दिनांकः– 27/02/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–06/2020–636/वि0स0, राँची, दिनांकः– 27/02/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

मराण्डी/–

(139)

ी मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सख्या स–12 दिनांक 03.03.2023 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रॉची के सदर अस्पताल में 01 सौ बेड की क्षमता का डे केयर सेंटर संचालित है जहॉ हीमोफिलिया एवं थैलेसिमिया जैसी गंभीर रोगों से पीडित गरीब बच्चों मुफत में ईलाज के साथ–साथ बच्चों के अनुकूल वातावरण को ध्यान में रखकर अरामदायक कमरे, दीवारों पर सुन्दर–सुन्दर पेंटिंग, बच्चों को आकर्षक से जुड़ी कई सुविधाओं के साथ–साथ पौष्टिक भोजन व्यवस्था तथा चाईल्ड–फ्रेंडली नर्स और चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित सेंटर के अलावे राज्य के जमशेदपुर, गिरिडीह, दुमका, कोडरमा, सरायकेला–खरसॉवा, धनबाद एवं बोकारों में भी संचालित है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में खण्ड–01 में वर्णित सेंटर का अबतक संचालन नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र के गरीब मरीजो को उक्त रोग के ईलाज हेतु खण्ड–2 में वर्णित जिलो पर निर्भर रहना पडता है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के गरीब लोगों को अत्यधिक आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक पीडा होतीहै जिसके कारण उक्त मरीज ईलाज से वंचित रह जाते है;	थैलेसिमिया पेंसेंट का ईलाज शिशु रोग विभाग, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग में चल रहा है। हीमोफिलिया पेंसेट के लिए हीमोफिलिया सोसाईटी, रॉची, चेप्टर के मदद से एक सप्ताह के अन्दर ईलाज शुरू कर दिया जायेगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित जिलो के तर्ज पर हजारीबाग में भी डे केयर सेंटर संचालित करने पर विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	स्वीकारात्मक। एक सप्ताह के अंदर सेन्टर संचालित कर ईलाज प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/ वि0स0–06–09./2023 58(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 02/03/2023.

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 360/वि0स0 रॉची, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.23

सरकार के उप सचिव।

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या सं0–06 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड अन्तर्गत साड़म में करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य विगत 14 वर्षों से हो रहा है किन्तु अभी तक पूरा नहीं हो पाया है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधान सभा अन्तर्गत महुआटांड, चतरोचट्टी, कसमार, खैराचातर एवं करमा पुरनाडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बन कर तैयार है किन्तु चिकित्सकों, गैर चिकित्सकर्मियों एवं चिकित्सा उपकरण के अभाव में उक्त अस्पताल अभी तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया है, जिससे प्रखण्ड के हजारों मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। गोमिया विधान सभा अन्तर्गतः– 1. महुआटांड़ में 02 चिकित्सक एवं तीन पारामेडिकल व अन्य कर्मी पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। संस्थान में दवा उपकरण आदि उपलब्ध है तथा चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जा रही है। 2. चतरोचट्टी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पी0पी0पी0 मोड़ में सिटीजन फाउंडेशन द्वारा संचालित है। चिकित्सक एवं कर्मी सिटीजन फाउंडेशन द्वारा पदस्थापित हैं। दवा, भैक्सीन इत्यादि प्रभारी चिकित्सा पदा0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोमिया द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 3. कसमार में 3 चिकित्सक, 2 आयुष चिकित्सक, तथा पारामेडिकल कर्मी एवं अन्य कर्मी पदस्थापित हैं तथा चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जा रही है। 4. खैराचातर में 1 चिकित्सक एवं 1 यूनानी चिकित्सक तथा अन्य पारामेडिकल कर्मी व अन्य कर्मी पदस्थापित हैं एवं चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जा रही है। 5. करमा पुरनाडीह में 2 चिकित्सक एवं 2 पारामेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त है चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों को अविलम्ब चालू कराना चाहती है तथा साड़म PHC के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदक एवं दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साड़म का भवन निर्माण कार्य पूर्ण है। शीघ्र हस्तगत करा कर संचालित करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–05/2023– 216(5) स्वा, राँची, दिनांकः 02.03.2023

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 210 वि0स0, राँची, दिनांक–22.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ajay 02-03-2023

अवर सचिव।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–05/2023– 216(5) स्वा, राँची, दिनांकः 02.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Ajay 02-03-2023

अवर सचिव।

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–रा.–07 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के चंदवारा अंचलाधिकारी मोजाहिद अंसारी वर्त्तमान में पदमा (हजारीबाग) में पदस्थापित के द्वारा ग्राम चंदवारा अंचल चंदवारा के खाता नं0–175, प्लॉट नं0–6969 रकबा–05 एकड़ भूमि की वाद संख्या–04, 05, 06, 07, 08, 2016–17 अंचलाधिकारी चंदवारा के द्वारा जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कोडरमा को भेजा गया;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्त्ता के द्वारा भेजा गया अभिलेख कोडरमा उपायुक्त कार्यालय में लंबित है;	उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–341, दिनांक–01.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राप्त अभिलेख को उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा में सुनवाई के पश्चात पत्रांक–1707, दिनांक–20.12.2022 प्रश्नगत वाद मामले में दावेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला से वर्ष 1942 में प्राप्त होने का दावा किया गया है। फलतः प्रश्नगत मामले को विभागीय पत्रांक–1704/रा., दिनांक–15.07.2020 के आलोक में पुर्नसमीक्षा हेतु उपायुक्त, कोडरमा को वापस भेजा गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त कोडरमा के निर्णय के पहले ही अंचलाधिकारी चंदवारा के द्वारा पांचो वादों को ऑनलाईन रसीद निर्गत कर दिया;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त कार्यालय के पत्रांक संख्या–1403 दिनांक– 15.09.21 को उपायुक्त के द्वारा गंभीर आरोप गठित किया है;	अस्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, कोडरमा द्वारा पुर्नसमीक्षा कर मंतव्य सहित विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 09/वि0स0(तारां.)–31/2023 864 (9)/रा. राँची, दिनांक– 02-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–153/वि0स0, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री रामचन्द्र सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 03.03.2023 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 15 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडांड प्रखण्ड में वर्ष 2008–09 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण जिले के ही एजेन्सी एन.आर.ई.पी. द्वारा कराया जा रहा था, जो अभी तक अपूर्ण है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–01 में वर्णित भवन निर्माण में एन.आर.ई.पी. के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय दुकानदारों से Raw Materials लिया गया तथा स्थानीय मजदूरों से कार्य कराया गया है, जिसका भुगतान आज तक लंबित है, जबकि पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी भी की जा चुकी है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है, कि आज भी महुआडांड में अस्पताल के भवन के अभाव में समुचित चिकित्सा व्यवस्था में कठिनाई हो रहा है	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआडांड़ के पुराने भवन में ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण शीघ्र कराने, स्थानीय दुकनदारों एवं मजदूरों का भुगतान कराने तथा दोशी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआडांड़ के भवन निर्माण योजना का कार्य उपायुक्त, लातेहार द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी एन0आर0ई0पी0, लातेहार के माध्यम से कराया जा रहा था। योजना के निर्माण कार्य में संलिप्त श्री कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार के द्वारा निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही एवं उदासीनता के प्रमाणित आरोपों के लिए आरोप पत्र (प्रपत्र ''क'' में) गठित कर उनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची को उपायुक्त, लातेहार द्वारा अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा चुका है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–11(5)ब यो0, दिनांक 18.05.2022 द्वारा केन्द्र सम्पोशित ECRP-II मद (केन्द्रांश : राज्यांश :: 60:40) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के दौरान लातेहार जिलान्तर्गत महुआडांड़ अनुमण्डल में 50 शय्या वाले अनुमण्डलीय अस्पताल (आवासीय भवन सहित) के भवन निर्माण की योजना हेतु 23,75,00,000/– (तेईस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची के पत्रांक–383(नि0), दिनांक–27.01.2023 के अनुसार अनुमण्डल अस्पताल महुआडांड़ का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0 (ता0)– 08/2023– 218(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 02.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–359/वि0स0, दिनांक– 24.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.2023

अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–03/2023– 218(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 02.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.2023.

अवर सचिव

(143)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–03.03..2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि, राँची स्थित हटिया में HEC Ltd की स्थापना हेतु CNTA 1908 एवं संविधान का पाँचवी अनुसूची के प्रावधानों में संसीमित भूमि का अधिग्रहण 1894 की LA Act के तहत् किया गया था;	स्वीकारात्मक। HEC LTD की स्थापना हेतु सन् 1957–58 से लेकर 1970–71 तक विभिन्न चरणों में LA Act, 1894 के तहत् भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई संयुक्त बिहार के समय की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कारखाना के निर्माण में जरूरत से कई गुणा ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा इससे पीड़ित विस्थापितों/प्रभावितों का न तो अब तक पुर्नवास हुआ और न ही पुर्नस्थापन सह रोजगार की उपलब्ध सुनिश्चित की गई;	अस्वीकारात्मक। HEC निर्माण हेतु अर्जित भूमि से कुल–1131 परिवार विस्थापित हुए थे, जिन्हें पुर्नस्थापित किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा ऐसे परिवारों के लिए कुल 400 (चार सौ) आवास का निर्माण भी कराया गया हैं।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि को षड़यंत्र के तहत् सरकारी एवं निजी संस्थानों को भारी रकम लेकर बिक्री की जा रही, जो कानूनी प्रावधानों/नियमों/लीज शर्तें का घोर उल्लंधन है;	अस्वीकारात्मक। सर्वश्री भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के उद्योग विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–400, दिनांक–20.02.2009 द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके आलोक में HEC से Deed of Reconveyance के माध्यम से 2021.97 एकड़ अतिक्रमण रहित भूमि उपलब्ध करायी गयी है। HEC से प्राप्त भू–खण्ड को कोर कैपिटल एरिया के रूप में विकसित किया जाना है। राज्य की राजधानी, राँची को सुनियोजित ढंग से स्तरीय शहर के रूप में विकसित किये जाने की अवधारणा के अनुरूप विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों का मुख्यालय को राँची में लाने हेतु व्यवस्थित ढ़ंग से भूमि का आवंटन किया गया है। उद्योग विभाग के संकल्प सं0–944, दिनांक–19.03.2016 द्वारा मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि0, राँची के आधुनिकीकरण हेतु विशेष पैकेज के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके आलोक में 675.43 एकड़ भूमि एच0ई0सी0

कृ0पृ0उ0

		द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त भूमि में से 19.13 एकड़ भूमि पुलिस मुख्यालय एवं 656.30 एकड़ भूमि स्मार्ट सिटी के लिए नगर विकास विभाग को दिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1, 2 एवं 3 में वर्णित गंभीर विषय पर कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02बी0 / भू0अ0नि0 (वि0स0) तारां0–15 / 2023 164/ रा0 राँची, दिनांक– 02-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–353, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची / विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/23

सरकार के अवर सचिव।

F:\Naina\sec 88\vidhan sabha *(Vikrant)*

श्री किशुन कुमार दास, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0– 08 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया में प्रखण्ड सिमरिया रेफरल अस्पताल एवं प्रखण्ड टण्डवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की घोर कमी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रेफरल अस्पताल, सिमरिया में 1 नियमित चिकित्सा पदाधिकारी, 1 दन्त चिकित्सक, 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक एवं 2 आयुष चिकित्सक कार्यरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टण्डवा में 3 नियमित चिकित्सा पदाधिकारी एवं 1 आयुष चिकित्सक कार्यरत है। उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा आमजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र में कम चिकित्सक पदस्थापित होने के कारण समय पर रोगियों का ईलाज नही हो पता एवं चिकित्सकों पर कार्य का अधिक बोझ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा आमजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड टण्डवा के समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ0 कृष्ण कुमार का आचरण सेवा शर्त के अनुरूप नही है;	सिविल सर्जन कार्यालय के पत्रांक 373 दिनांक 24.02.2023 द्वारा कृष्ण कुमार का आचरण सेवा शर्त के अनुरूप नही होने के संबंध में जाँच समिति का गठन किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार टण्डवा प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉ0 कृष्ण कुमार को अन्यत्र जगह स्थानांतरित करते हुए प्रखण्ड सिमरिया रेफरल अस्पताल एवं प्रखण्ड टण्डवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में समुचित संख्या में चिकित्सक का पदस्थापन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–07/2023 212 (3) राँची, दिनांक: 01.03.2023

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 211/वि0स0 दिनांक 22.02.2023 के क्रम में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–07/2023 212 (3) राँची, दिनांक 01.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० विधि–01 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विधि विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2804, दिनांक–04.12.2019 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से मांगे गए दिशा निर्देश के आलोक में महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक–4330/एपीपीटीटी, दिनांक–06.09.2016 के द्वारा हुसैनाबाद अनुमंडलीय न्यायालय के गठन पर सहमति प्रदान की गयी है;	:–	स्वीकारात्मक। परन्तु अंकित पत्रों की तिथियाँ त्रुटियुक्त हैं। वास्तव में विधि विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2804, **दिनांक–04.12.2014** द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से मांगे गए दिशा निर्देश के आलोक में महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक–4330/एपीपीटीटी, **दिनांक–05.08.2016** हुसैनाबाद अनुमंडलीय न्यायालय के गठन पर सहमति प्रदान की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित वर्ष 2016 में हुसैनाबाद अनुमंडलीय न्यायालय के गठन पर सहमति के आलोक में 31 जनवरी 2023 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	:–	अस्वीकारात्मक। हुसैनाबाद अनुमंडलीय न्यायालय के गठन के प्रश्न पर तत्कालीन माननीय मंत्री विधि के द्वारा प्रदत्त सरकारी आश्वासन सं०–625/2002 के अनुसार जेल एवं कोर्ट भवन के निर्माण के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त कर न्यायालय खोलने का आश्वासन दिया गया था। उक्त आश्वासन के आलोक में ही आवश्यक कार्रवाई के अंतर्गत ही भवन निर्माण विभाग के अनुरोध पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय से उपरोक्त दिशा–निर्देश प्राप्त हुआ। तदोपरांत झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त उपरोक्त पत्र को विधि विभागीय पत्रांक–710, दिनांक–03.04.2017 से अग्रसारित करते हुए इसके क्रम में पत्रांक–98, दिनांक–11.01.2018, पत्रांक–1752, दिनांक–11.09.2019 एवं पत्रांक–1775, दिनांक–07.09.2022 द्वारा न्यायालयी आधारभूत अवसंरचनाओं यथा कोर्ट भवन एवं जेल भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने तथा इसके संबंध में कृत अद्यतन कार्रवाई से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची से किया गया है। भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–680(भ), दिनांक–27.02.2023 के द्वारा अग्रसारित कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन निर्माण प्रमंडल, डालटनगंज के पत्रांक–231, दिनांक–24.02.2023 से प्राप्त सूचना निम्नवत् है:– **"अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–भ०–9/विधि–29/14(खण्ड–1)– 250(भ), दिनांक–30.01.2018 के द्वारा नवनिर्माण हेतु डिजाईन, डीपीआर तैयार करने हेतु Design Oriented Techniques, 303 Urmila Apartments, Near St. Annes's School, Tharpakhna, Ranchi को आदेश दिया गया। परन्तु जिला पलामू के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अभी तक अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकी है।** **जिला पलामू के द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के उपरांत जल्द ही डीपीआर की प्रक्रिया करा दी जाएगी।"**

(कृ०पृ०उ०)

2.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हुसैनाबाद अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	कोर्ट एवं जेल भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही विधि विभाग के द्वारा उक्त न्यायालय के गठन के संबंध में अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई अपेक्षित होगी।

ह०/–
(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक– ए0/विधि–वि0स0प्र0–02/2023– 500/जे0, राँची, दिनांक–27 फरवरी, 2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–57 वि०स०, दिनांक–17.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या सं0 स0–02 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के प्रखण्ड सगमा में एक भी अस्पताल नहीं है, जिससे प्रखण्डवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।	अस्वीकारात्मक। गढ़वा जिले के प्रखण्ड सगमा मुख्यालय में स्वास्थ्य उपकेन्द्र क्रियाशील है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र में उपलब्ध सुविधाएँ ग्रामीण जनता को मुहैया करायी जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड सगमा में कोई भी अस्पताल नहीं होने के कारण प्रखण्ड मुख्यालय, धुरकी या प्रखण्ड मुख्यालय श्रीबंशीधर नगर ऊँटारी जाना पड़ता है।	सगमा प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गढ़वा जिले के प्रखण्ड सगमा में अस्पताल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला स्तर पर उपायुक्त, गढ़वा की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक–18.01.2023 को सम्पन्न बैठक में सगंमा प्रखण्ड मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है। तद्नुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–03/2023– 214(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 02.03.2023

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 159 वि0स0, राँची, दिनांक–21.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.2023
अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–03/2023– 214(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 02.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.2023
अवर सचिव

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स0–01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर एवं पिपरा प्रखंड मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित हैदरनगर एवं पिपरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण करने हेतु उपायुक्त, पलामू के द्वारा प्रस्ताव मुख्यालय को समर्पित किया जा चुका है, परंतु 31 जनवरी, 2023 तक उक्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया गया है;	IPHS मापदंड के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु सामान्य क्षेत्र के लिए कुल 120000 आबादी अपेक्षित है। प्रखण्ड हैदरनगर एवं पिपरा की आबादी क्रमशः 107231 एवं 35245 है। ऐसे में उक्त स्थानों पर वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उत्क्रमण में कठिनाई है। विदित हो कि हैदरनगर से 8 किमी की दूरी पर ही अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद संचालित है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैदरनगर एवं पिपरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ;	उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–02/2023– 215(5) स्वा0, राँची, दिनांकः– 02.03.2023

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0 56 वि0स0, राँची, दिनांक–17.02.2023, के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.2023
अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–02/2023 – 215(5) स्वा0, राँची, दिनांकः– 02.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.2023
अवर सचिव

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–18 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि, हजारीबाग जिला के बड़कागॉव और केरेडारी अंतर्गत खनन परियोजनाओं में सी.एन.टी. एक्ट का अनुपालन किए बिना भूमि का अधिग्रहण किया गया है;	**अस्वीकारात्मक।** हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागँव एवं केरेडारी अन्तर्गत एनटीपीसी की खनन परियोजनाओं हेतु L.A. Act के अंतर्गत भूमि अर्जन की कार्रवाई की जा रही है एवं JSW की खनन परियोजना हेतु रैयती भूमि का अर्जन छोटानागपुर कास्ताकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49 के तहत् की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागॉव और केरेडारी प्रखण्ड अंतर्गत खनन परियोजनाओं में बिना राज्यादेश के गैर मजरूआ जमीन का एन.टी.पी.सी. एवं अन्य खनन कम्पनियों द्वारा अधिग्रहण किया गया है ;	**अस्वीकारात्मक।**
3	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बड़कागॉव और केरेडारी प्रखण्ड अंतर्गत खनन परियोजनाओं में कृषि भूमि को बिना रूपांतरित किए कंपनियों द्वारा उनका अधिग्रहण कर औद्योगिक भूमि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।**
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन मामलों की सूची उपलब्ध कराते हुए संबंधित कम्पनियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–28/2023 -166/ग्र राँची, दिनांक–02-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–355, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 202 (SOHAN)

श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–03.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–विधि–02 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य विधान सभा, कार्यपालिका के अधीनस्थ न्यायालयों में किये गये एवं किये जा रहे सभी प्रकार के सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में राज्य के आदिवासी/मूलवासी अधिवक्ताओं प्राथमिकता नही दी गई है, तथा नहीं दी जा रही है:	:–	1. अस्वीकारात्मक। विद्वान महाधिवक्ता, झारखंड से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वादों में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु The Jharkhand Law Officers (Engagement) Rules, 2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत चयन समिति द्वारा अनुशंसित कुल 33 विद्वान अधिवक्ताओं की नियुक्ति विधि पदाधिकारी के रूप में की गई है, जिनमें आदिवासी/मूलवासी सहित अन्य वर्गो के अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति हुई है। (विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी आदेश संख्या–1421/ दिनांक–14.07.2022 संलग्न है)।
2.	क्या यह बात सही है खंड में वर्णित Advocates को Govt. Panel में प्राथमिकता नही मिलने के कारण ये उच्च न्यायिक सेवा में भागीदारी पाने से वंचित हो रहे हैं, जो समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है:	:–	अस्वीकारात्मक। विद्वान महाधिवक्ता, झारखंड से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा 33 विधि पदाधिकारियों एवं उनके 4–4 एसोसिएट काउसेंल की नियुक्ति में मूलवासी/आदिवासी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है, जिनकी संख्या राज्य सरकार गठन के बाद से अभी तक सबसे अधिक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय की गंभीरता को देखते हुए राज्य ST/VBROZINEES अधिवक्ताओं के हित में कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	कंडिका–1 एवं 2 के उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–04/2023–526/जे0 राँची, दिनांक–02 मार्च, 2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–148/वि0स0, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–16 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि, राज्य में 9th Scedulised Law CNTA, SPTA की अस्तित्व में होने के बावजूद 1894 की ब्रिटिश साम्राज्यबादी LA Act के तहत् अनुसूचित क्षेत्रों के बहुत बड़ी भू–भाग को सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए अधिग्रहित करने की सिलसिला दशकों से जारी है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** राज्य में (i) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 (ii) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 (iii) NH Act 1956 (iv) रेलवे एक्ट–1989 (v) CBAct के तहत् भू–अर्जन की कार्रवाई हुई है। RFCTLARR Act, 2013 प्रभाव में आने के बाद भू–अर्जन अधिनियम, 1894 प्रभाव में नहीं है व इसके तहत् कोई जमीन अधिग्रहण वर्तमान में नहीं किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित LA Act का Prevail अनुसूचित क्षेत्रों में होना असवैधानिक है;	**अस्वीकारात्मक।** अनुसूचित क्षेत्र में L.A. Act को लागू किया जाना असंवैधानिक नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित Act का अनुसूचित क्षेत्र में दूरूपयोग कर आदिवासी भूमि पर अधिग्रहण के नाम पर PERPETUAL LEASE के सहारे षड़यंत्र के तहत् गैर आदिवासियों को सौंपी जा रही है या बंदरबाट किया जा रह है;	**अस्वीकारात्मक।**
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में लागू संवैधानिक प्रावधानों को आदिवासी अस्तित्व रक्षार्थ अक्षूण रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए० / भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–29 / 2023 - 165/ए० राँची, दिनांक– 02-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–352, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 204 (SOHAN)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–06 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय में NH-2 पथ चौड़ीकरण कार्य हेतु अधिग्रहित कैसरे हिन्द रैयती भूमि के मकान एवं जमीन का मुआवजा भुगतान किये बिना ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–02 के चौड़ीकरण हेतु कैसरे हिन्द भूमि का अर्जन नहीं किया गया है। NH-2 के फोर लेन चौड़ीकरण के समय भूमि हस्तांतरित किया गया है। NH-2 का चौड़ीकरण अपने भूमि पर किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि रैयतों को मकान एवं जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण उनके पुनर्वास में घोर समस्या उत्पन्न हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विस्थापितों को मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–22/2023...167...../नि.रा.,राँची, दिनांक–...02-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–156, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 198 (SOHAN)

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सख्या स– 14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गठन से अबतक स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों के सृजित पदों पर नियमित नियुक्तियॉ नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। विभाग अंतर्गत विभिन्न पारामेडिकल कर्मियों–ए0एन0एम0–936, प्रयोगशाला प्रावैधिक–130, फार्मासिस्ट–141 एवं परिचारिका श्रेणी "ए"–77 का स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमितीकरण वर्ष 2016 में किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2000 के बाद NRHM/JASACS सदृश राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार एक वर्ष के लिए अनुबंध पर पारामेडिकल कर्मियों को नियुक्त किया गया, जिनका अभी तक सेवा अवधि विस्तार किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। NHM अंतर्गत अनुबंध पर पारामेडिकल कर्मियों की सेवाएँ प्राप्त की गई है एवं उनका सेवा अवधि विस्तार वर्षवार किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुबंध पर कार्यरत पारामेडिकल कर्मियों को समयबद्व तरीके से स्वीकृत पदो पर स्थायी रूपा से नियुक्त करने का परामर्श दिया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस आशय का निर्देश दिया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस आशय का निर्देश दिया है, फिर भी सरकार द्वारा इनकी नियमित नियुक्ति नहीं की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार से प्राप्त पत्र में संविदा आधारित पदों के स्थान पर नियमित नियुक्ति एवं आवश्यकता अनुसार नये पदों के सृजन करने हेतु चरणबद्ध तरीके से कार्य करने का परामर्श दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर पारामेडिकल कर्मियों की नियमित नियुक्तियॉ करने तथा वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मियों का सेवा समंजन करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर पारामेडिकल कर्मियों की नियमित नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके स्वरूप में बदलाव भारत सरकार के परामर्श से ही संभव है। NHM अंतर्गत अनुबंध कर्मियों के सामंजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–08/2023 57(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 02/03/2023

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 358/वि0स0 रॉची, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.23

सरकार के उप सचिव।

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–08 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पूजा टाकिज, धनबाद से झरिया पुल तक फ्लाई ओवर बनाने की मांग बहुप्रतिक्षित है ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा फ्लाई ओवर का प्रस्ताव समर्पित होने के बावजूद भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु ना तो किसी प्रकार की अधिसूचना जारी की गई और ना ही अन्य प्रक्रिया को पुरा किया गया;	अस्वीकारात्मक। पथ निर्माण विभाग से भू–अर्जन हेतु अधियाचना अप्राप्त है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रस्तावित फ्लाई ओवर निर्माण कार्य में विलंब से शहर के लोगों को भारी सड़क जाम का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूजा टाकिज से झरिया पुल तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पूजा टाकिज से झरिया पुल तक फ्लाई ओवर निर्माण के संबंध में पथ निर्माण विभाग द्वारा अधियाचना समर्पित करने पर उपायुक्त द्वारा भू–अर्जन की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–23/2023-158/ग-रा राँची, दिनांक–01-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–154, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/23
सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 201 (SOHAN)

397
27/02/2023

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–01 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि सरकार ने अपने संकल्प में सामान्य मृत्यु की स्थिति में प्रवासी मजदूरों का शव उनके घर तक लाने हेतु 25 हजार रूपये का प्रावधान किया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि महाराष्ट्र, तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक या अन्य दूरस्थ राज्यों से 25 हजार रूपये में शव झारखण्ड में उनके निवास तक नहीं लाया जा सकता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 50 हजार रूपये करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	दिनांक–03.02.2023 को प्रत्यायुक्त विधान समिति के निर्देश के आलोक में संबंधित संकल्प में संशोधन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

27/02/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–06 / 2023श्र0नि0–397 **राँची, दिनांक–**27/02/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–24, दिनांक–14.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-06-2023 L.docx

155

श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–20 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि, पिछले कई सालों से भूमि बंदोबस्त का कार्य चल रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पिछले भूमि बंदोबस्त का सेटलमेंट का पर्चा अभी तक सारठ (देवघर जिला) के लोगों को नहीं मिला है;	देवघर जिला के सारठ अंचल के 20 (बीस) ग्रामों का फाईनल पर्चा वितरण किया जा चुका है। शेष बचे ग्रामों का फाईनल पर्चा वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाने का कृपा करेगे की सारठ के लोगों को भूमि बंदोबस्ती का पर्चा कब तक मिलेगा, या फिर नहीं, नहीं तो क्यों?	स्थिति उपयुक्त कंडिका–02 में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0, वि0स0 (तारां0)–13/2023 94/ग.रा. राँची, दिनांक– 02-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–362/वि0स0, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3-23
सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

(156) 424 01/03/23

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–04 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्री रामचन्द्र सिंह,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, लातेहार जिला अंतर्गत महुआडांड अनुमण्डल मुख्यालय में विगत 5 वर्ष पूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका भवन भी बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित आई0टी0आई0 में 05 वर्ष बीत जाने के बाद भी शैक्षणिक सत्र की शुरूआत नहीं हुई, निर्मित भवन धीरे–धीरे खण्डहर का रूप लेता जा रहा है साथ ही स्थानीय विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा हेतु आज भी बाहर के संस्थानों पर निर्भर होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। लातेहार जिलान्तर्गत महुआटॉड अनुमण्डल मुख्यालय के उक्त निर्मित आई0टी0आई0 में प्रशिक्षण वर्ष 2016 से दिया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महुआडांड में निर्मित आई0टी0आई0 भवन शैक्षणिक सत्र शुरूआत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	शैक्षणिक सत्र 2016 से सत्र 2022 तक संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन निम्नरूपेण किया गया है:–

Session	Admission
2016	11
2017	05
2018	17
2019	25
2020	27
2021	51
2022	26

01/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–13/2023श्र0नि0–424 **राँची, दिनांक**–01/03/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–361, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-13-2023 T.docx

श्री किसुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–09 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री किसुन कुमार दास, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला बड़कागॉव प्रखण्ड एवं केरेडारी प्रखण्ड में एन०टी०पी०सी की कोल परियोजना पकरी बरवाडीह एवं चट्टी बरियातु में खनन हेतु रैयती एवं गैरमजरूआ खास भूमि का अधिग्रहण किया गया है;	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है कि गैरमजरूआ खास भूमि जो रैयतों को भूतर्पूव जमीन्दार एवं सरकार द्वारा बन्दोबस्त हासिल है एवं अंचल कार्यालय से राजस्व रसीद निर्गत हो रहा है परन्तु राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन नहीं होने से रैयतों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का लाभ नहीं मिल पा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** नियमानुसार भूमि का सत्यापनोपरांत रैयतों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का लाभ दिया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि एस०आई०टी० एवं अन्य जाँच एजेंसियों का बहाना बनाकर जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन नहीं किया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।**
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्थल का भौतिक सर्वेक्षण करवाकर दखलकार रैयतों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का लाभ देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–25/2023 – 159/रा०, राँची, दिनांक–01-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–155, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 200 (SOHAN)

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–रा.–12 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0		माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि कोडरमा जिला के डोमचांच के अंचलाधिकारी के विरोध में अपर समाहर्त्ता के द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया है;		उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–342,दिनांक–01.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कोडरमा जिलो के सभी अंचलों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंचल निरीक्षण एवं आमजनों की समस्याओं से अवगत होने के क्रम में डोमचांच अंचल में प्राप्त परिवाद पत्रों की प्रति के साथ निष्पादन हेतु पत्र दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है, कि अपर समाहर्त्ता के द्वारा आमजनों के राजस्व संबंधी समस्याओं से अवगत होने के क्रम में उपस्थित आमजनों रैयतों से संबंधित विभिन्न राजस्व मामलों आवेदन के माध्यम से पदाधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई;		स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है, कि अपर समाहर्त्ता को आमजनों एवं रैयतों से 43 (तैतालिस) शिकायत प्राप्त हुआ है;		स्वीकारात्मक।
4	यदि खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी सम्बन्धित कर्मियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		प्राप्त आवेदनों में से 35 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है एवं शेष 08 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है उक्त शिकायत वृहत दण्ड के योग्य नहीं होने के कारण संबंधित कर्मियों को कड़ी चेतावनी देते हुए सभी मामलों का ससमय निष्पादन करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 09/वि0स0(तारां.)–34/2023 861 (9/रा. राँची, दिनांक– 02-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–207/वि0स0, दिनांक–22.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि निरंजन कुमार, उम्र–13 वर्ष, पिता–दुर्गा कुमार, माता– ममता देवी को दिनांक–21.01.2023 को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग में चिकित्सा हेतु भर्ती कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन एवं चिकित्सकों तथा देख–रेख करने वाले कर्मियों के नकारात्मक रवैये एवं गलत दवा के उपयोग से दिनांक–22.01.2023 को मरीज की मृत्यु हो गयी ;	अस्वीकारात्मक। मरीज का उचित ईलाज तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सक की देख रेख में किया गया। परंतु गंभीरावस्था के कारण मरीज की मृत्यु 22.01.2023 को सुबह 1.20 बजे हो गयी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी गंभीरता पूर्वक जाँच कराकर दोषी चिकित्सकों, सेवा में कार्यरत कर्मचारियों एवं प्रबंधन पर दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मरीज के अभिभावक के आवेदन पर अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग के स्तर से जाँच समिति गठित कर जाँच करायी गयी जिसमें शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये। अतएव किसी अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 18/वि०स०–08–01/2023 - 138(18) स्वा० राँची, दिनांकः– 02.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–348/वि०स०, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2023
सरकार के अवर सचिव

160

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0– 07 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अनुसूचित जनजाति बहुल्य जिला है, जहाँ स्वास्थ्य की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था नही है;	जामताड़ा जिला अनुसूचित जनजाति बहुल्य जिला है। जामताड़ा जिला अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा आमजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा सदर अस्पताल में डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ की घार कमी के कारण मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नही मिल पाती है, जिसके कारण यहां के मरीजों को धनबाद या बंगाल रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान एवं घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है;	सदर अस्पताल, जामताड़ा में चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक के कुल 33 स्वीकृत पद के विरूद्ध 8 नियमित चिकित्सक एवं 2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक एवं जिला अंतर्गत अन्य संस्थानों से चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल में की गयी है। सदर अस्पताल, जामताड़ा में कुल 60 कर्मियों के स्वीकृत पद के विरूद्ध 18 नियमित, 32 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं 06 आउटसोर्स के कर्मी कार्यरत है। उपलब्ध चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा सदर अस्पताल, जामताड़ा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जामताड़ा जिला के सदर अस्पताल में अविलंब खाली पदों पर डॉक्टरों का पदस्थापन करते हुए लोगों को तुरंत राहत देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में सरकार के स्तर से चिकित्सकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0-- 03/वि0स0–03–06/2023 213 (3) राँची, दिनांकः 01.03.2023

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 209/वि0स0 दिनांक 22.02.2023 के क्रम में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2023

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–06/2023 213 (3) राँची, दिनांकः 01.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2023

सरकार के अपर सचिव

162

श्रीमती डॉ0 नीरा यादव, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–14 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती डॉ नीरा यादव, माननीया स.वि.स.		माननीया प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि, तत्कालीन जिला हजारीबाग वर्त्तमान जिला कोडरमा के ग्राम/थाना–कोडरमा, थाना नं.–333 में जिसका खाता सं.–141 के प्लॉट–3401, प्लॉट सं.–4318 एवं प्लॉट सं.–4321 में कुल मिलाकर जमीन 68 डिसमिल है, जो श्री सच्चिदानन्द प्रसाद तथा स्व0 सदानन्द प्रसाद, कोडरमा के नाम दर्ज है;		अस्वीकारात्मक। सी0एस0 सर्वे खतियान के अनुसार मौजा–कोडरमा, थाना नं.–333, खाता नं.–141, प्लॉट संख्या–3401, 4318 एवं 4321, रकबा क्रमशः–38डी0, 51डी0 एवं 18डी0 कुल रकबा–107 डी0 भूमि सर्वे खतियान में रामेसर प्रसाद वगैरह के नाम से दर्ज है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित रैयती जमीन को विभागीय त्रुटिवश रैयती जमीन को खासमहल में तब्दील कर दी गई तथा खासमहल केश सं.–84/45–46 के अनुसार भवन लीज में बदल दिया जो खाता सं.–141 के अन्तर्गत है ;		प्रश्नगत भूमि के खतियान की दाई ओर दर्ज के अनुसार मौजा–कोडरमा, थाना नं.–333, होल्डिंग सं.–814, प्लॉट संख्या–3401, रकबा–38डी0 एवं होल्डिंग सं.–819, प्लॉट सं.–4318 एवं 4321 रकबा क्रमशः 24डी0 एवं 06डी0 खासमहाल अन्तर्गत है जो सदानन्द प्रसाद वल्द दुर्गा प्रसाद के नाम से वर्ष 1980 की अवधि तक भवन लीज था।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित रैयती जमीन जिसे खासमहल में तब्दील कर दिया गया है की त्रुटि को सुधार कर जमीन उनके मूल रैयत को वापस दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?		सी0एस0 सर्वे खतियान में अंकित प्रविष्टि में कोई सुधार एक विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जाँचोपरांत रिविजनल सर्वे के माध्यम से किया जा सकता है। कोडरमा जिले में रिविजनल सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–7/खा.म.(विधान सभा)(कोडरमा)–01/2023(एम.)...866.....(7)/रा., राँची, दिनांक–02-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–351/वि.स., दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/3/23

सरकार के उप सचिव।

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत मुरूमातु के पांडु थाना क्षेत्र से विशेष समुदाय के लोगो ने महादलित मुसहर परिवार को 29 अगस्त, 2022 को देर रात घर से बेघर कर दिया था, जिसे अबतक नहीं बसाया गया है ;	स्वीकारात्मक। दिनांक–29.08.2022 को बेघर हुए महादलित मुसहर परिवार को अस्थायी रूप से पुराना थाना भवन, पांडु में आवासित किया गया है। स्थायी रूप से पुनर्वासित हेतु ग्राम नेउरी के खाता सं0–42, प्लॉट सं0–37, रकबा–0.20 एकड़ भूमि बंदोबस्त किया गया है एवं कुल 10 परिवारों को बाबा भीम राव अम्बेदकर आवास की स्वीकृति प्रदान भी हो गया है, परन्तु इनके द्वारा बंदोबस्त भूमि के नजदीक मूलभूत सुविधाएँ यथा–प्राथमिक विद्यालय, सड़क, बिजली, पीने हेतु चापाकल की सुविधा, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बगल में बांकी नदी होने के पश्चात् भी बंदोबस्त भूमि का पर्चा लेने एवं उक्त भूमि पर निवास करने से इनकार किया गया। फिर भी जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बंदोबस्त भूमि का पर्चा हस्तगत कराने एवं उक्त भूमि पर निवास करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि मुरूमातु के पांडु थाना क्षेत्र से विस्थापित महदलित परिवार के श्री जितेन्द्र मुसहर एवं श्री नंदलाल मुसहर ने आरटीआई के माध्यम से विश्रामपुर अंचल अधिकारी से विवादित जमीन की जानकारी मांगी गयी थी, विश्रामपुर अंचल अधिकारी ने जवाब देते हुए बताया है कि बंदोबस्त पंजी में खाता नम्बर–44, प्लॉट–437, रकबा–4.04 एकड़ जमीन किसी के भी नाम पर बंदोबस्त नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पांडु अंचल 15 अगस्त, 2016 को मूल अंचल विश्रामपुर से अलग होने के पश्चात् राजस्व संबंधी कार्य इस अंचल से किया जा रहा है। 15 अगस्त, 2016 से आज तक उक्त भूमि का बंदोबस्ती नहीं किया गया है। ज्ञातव्य हो कि गत सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम–मुरूमातु के खाता नं0–44, प्लॉट नं0–437, कुल रकबा–4.04 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि दर्ज है। ग्राम–मुरूमातु के खाता सं0–44, प्लॉट सं0–437, रकबा–3.00 एकड़ भूमि निबंधित केवाला संख्या–295, दिनांक–09.03.1943 के द्वारा शेख डोमन मियां, पिता–शेख नाजीर मियां, साकिन–मुरूमातु के नाम से दर्ज है, तद्नुसार सरकारी रसीद निर्गत किया गया है। केवाला नं0–4088, दिनांक–06.05.1987 के द्वारा विक्रेता नबी हसन वल्द हाजी शेख डोमन मियां, साकिन–मुरूमातु ने ग्राम–मुरूमातु के खाता सं0–44, प्लॉट सं0–437, रकबा–0.25 एकड़ भूमि मदरसा मंजरे इस्लाम, मौजा–मुरूमातु सेक्रेटरी शेख कमरूद्दीन अंसारी

कृ0पृ0र

		वल्द हाजी मर्रहूम डोमन मियां के नाम से बिक्री की है। उक्त खरीदगी भूमि का मांग मदरसा मंजरे इस्लाम, मौजा–मुरूमातु सेक्रेटरी शेख कमरूद्दीन अंसारी वल्द हाजी मर्रहूम डोमन मियां के नाम से ऑनलाईन मांग पंजी–II के पेज नं0–92/3 पर कायम है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विवादित जमीन पर महादलित मुसहर परिवार को बंदोबस्त करते हुए बसाना चाहती है साथ ही अन्य महादलित भूमिहीन मुसहर परिवार को प्राथमिकता के आधार पर जमीन बंदोबस्त करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त भूमि का मांग मदरसा मंजरे इस्लाम, मौजा–मुरूमातु सेक्रेटरी शेख कमरूद्दीन अंसारी वल्द हाजी मर्रहूम डोमन मियां के नाम से ऑनलाईन मांग पंजी–II के पेज नं0–92/3 पर कायम है, जिसे महादलित मुसहर परिवार के नाम से बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स0भू0 वि0स0 (तारां0)–26/2023.....860.....(5)/रा0 राँची, दिनांक– 02-03-2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–151/वि0स0, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.2023
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0– 05 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में कई डॉक्टरों का तबादला नियमानुसार नहीं हो रहा है और ये विगत 9 से 18 वर्ष तक एक ही जगह पदस्थापित है और साहेबगंज जिला की एम0ओ0 बड़हरवा डॉ0 सरिता टुडू तो विगत करीब 34 सालों से साहेबगंज जिला में पस्थापित है;	अस्वीकारात्मक। विगत वर्ष स्थापना समिति में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 30.07.2022 को निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से बोकारो एवं साहेबगंज सहित राज्य के अन्य सभी जिलों में तीन वर्षों से अधिक एक ही स्थापना में पदस्थापित वैसे चिकित्सक जो उसी जिले में लागातार 9 वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित हैं का स्थानान्तरण अन्य जिलों में किया गया है। डॉ0 सरिता टुडू चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहरवा, साहेबगंज को विभागीय अधिसूचना संख्या 653(3) दिनांक 31.07.2018 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहरवा, साहेबगंज से सदर अस्पताल, गोड्डा स्थानान्तिरित किया गया। पुनः उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 656(3) दिनांक 26.07.2019 द्वारा सदर अस्पताल, गोड्डा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहरवा, साहेबगंज में पदस्थापित किया गया है। डॉ0 टुडू के एक ही स्थापना में तीन वर्ष एवं एक ही जिले में लागातार 9 वर्षों से अधिक समय तक पदस्थापित रहने के अर्हता पूरी नहीं होने के कारण उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि इस प्रकार निर्धारित समयावधि में डॉक्टरों और जिलों के सदर अस्पताल अन्तर्गत कार्यरत अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का तबादला नहीं होने से नियमों का उल्लंघन हो रहा है और भ्रष्टाचार एवं इनकी मनमानी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में नियम विरूद्ध वर्षों से एक ही जगह जमे उक्त डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को चिन्हित करते हुए तत्काल इनका अंतरजिला स्थानांतरण करते हुए इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करवाते हुए इसके लिए जवाबदेह और दोषी वरीय पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप.सं0– 03/वि0स0–03–05/2023 210 (3) राँची, दिनांकः 01.03.2023

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 157/वि0स0 दिनांक 21.02.2023 के क्रम में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2023

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–05/2023 210 (3) राँची, दिनांकः 01.03.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2023

सरकार के अपर सचिव

165

डॉ० नीरा यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–03 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न डॉ० नीरा यादव मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अंतर्गत कोडरमा से नवाडीह तक रेलवे पथ विस्तारीकरण के तहत् विद्युतीकरण कार्य जारी है;	**स्वीकारात्मक।** कोडरमा–नावाडीह खण्ड स्तर पर रेलवे विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। कोडरमा–नावाडीह खण्ड में 25 केवी लाईन फीड करने के लिए एक 132 केवी/25 केवी ट्रेक्शन सब स्टेशन नावाडीह में बनाया गया है। जिसमें 132 केवी लाईन फीड करने के लिए कोडरमा से नावाडीह तक 132 केवी ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य चल रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित कार्य में जिन रैयतों की जमीन पर विद्युत पोल, टावर और तार का अधिष्ठापन कार्य की जा रही है, उन रैयतों को बिना मुआवजा दिए रेलवे द्वारा अधिष्ठापन कार्य करायी जा रही है ;	**अस्वीकारात्मक।** खण्ड–(1) में वर्णित कार्य में जिन रैयतों की जमीन पर विद्युत पोल, टावर और तार का अधिष्ठापन कार्य की जा रही है उन रैयतों को नियमानुसार मुआवजा देकर ही अधिष्ठापन कार्य करायी जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित रेलवे विद्युतीकरण अधिष्ठापन कार्य में जमीन रैयतों को अविलंब मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–24/2023 -163/ए.व राँची, दिनांक–02-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची/को उनके ज्ञापांक–150, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/3/23
सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 203 (SOHAN)

श्री समीर कुमार मोहंती, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स–04 दिनांक 03.03.2023 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बहड़ागोडा विधान सभा क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था में कहीं संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं है;	अस्वीकारात्मक। बहरागोडा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चाकुलिया तथा बहरागोडा प्रखण्ड के स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।
2.	क्या यह बात सही है कि गर्भावस्था इमरजेन्सी की स्थिति में गर्भवती माताओं को 40 कि0मी0 दूर अनुमण्डल अस्पताल, घाटशिला या 40 कि0मी0 दूर बंगाल स्थित झाडग्राम अस्पताल ले जाना पडता है, जो काफी जोखिम भरा कार्य है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थागत प्रसव की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यों?	वस्तु स्थिति उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–04/2023 52(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 01.03.2023

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–158/वि0स0, दिनांक 21.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

सरकार के उप सचिव।

[illegible] के [illegible]–[illegible]–[illegible]–01.03.2023 को [illegible] [illegible] [illegible]

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–01 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व के सर्वे में हुई भारी गड़बड़ी के कारण किसानों के खतियानी रैयती जमीन को वन विभाग में डाल दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वन परिसीमा के अंतर्गत पड़ने वाले भू–खण्डों का ही खाता वन विभाग के नाम से खोला गया है।
2	क्या यह बात सही है कि पूर्व के सर्वे में गड़बड़ी के कारण किसान अपने ही जमीन को नहीं बेच पा रहे हैं एवं किसान जिस जमीन का LPC बनवाकर ला रहे हैं उसे वन विभाग अपना जमीन बताकर रजिस्ट्री कार्यालय रजिस्ट्री करने से रोक रही है;	अस्वीकारात्मक। नगर उँटारी, निबंधन कार्यालय में इस तरह का मामला प्रकाश में नहीं आया है।
3	यदि उपर्युक्त खंड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व के गलत सर्वे में सुधार कराने हेतु पूरे गढ़वा जिले के सभी अंचल कार्यालय को दिशा–निर्देश देने का विचार रखती हैं, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ;	कंडिका–01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0, वि0स0 (तारां0)–11/2023...95/रा...राँची, दिनांक–02-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–55/वि0स0, दिनांक–17.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3-23
सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–05, प्रश्नोत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
	श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0	**माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के दैनिक पारिश्रमिक भू–मापकों (अमीन) की नियुक्ति वर्ष, 2008 में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त किया गया था, जो जिला के विभिन्न अंचलों में लगभग 12 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे है ;	स्वीकारात्मक। अपर समाहर्त्ता, धनबाद के ज्ञापांक–338/स्था0, दिनांक–09.04.2008 द्वारा दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने हेतु अनुमोदित अमीनों के पैनल सूची से कुल–15 अभ्यर्थियों को विभिन्न अंचल कार्यालय/शाखा आवंटित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि अधिसूचित झारखण्ड सरकार के अधिनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा 10 वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार सेवा हो, को नियमितीकरण करने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 की कंडिका–03 (क) (i) में प्रावधानित है कि सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम से कम 10 वर्षो की लगातार सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त करने की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जिला के 2008 में नियुक्त दैनिक पारिश्रमिक भू–मापकों (अमीन) पर नियमितीकरण नियमावली, 2015 लागू करने से नियमितीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है ;	धनबाद जिला में अनियमित रूप से वर्ष 2008 में नियुक्त प्रश्नाधीन कर्मियों के सेवा नियमितीकरण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग की अध्यक्षता में दिनांक–20.02.2020 को बैठक सम्पन्न हुई सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से नियमितीकरण नियमावली, 2015 के अनुसार अमीन संवर्ग के भर्ती/प्रोन्नति नियमावली, 2013 द्वारा झारखण्ड राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) से सर्वेयर का प्रमाण–पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र धारित नहीं रहने के कारण अमीन पद के लिये प्राप्त 06 आवेदनों को अयोग्य पाया गया। अतः इस पर विभाग द्वारा कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
4	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जिला के 2008 में नियुक्त दैनिक पारिश्रमिक भू–मापकों (अमीन) पर नियमितीकरण नियमावली, 2015 लागू है ;	धनबाद जिला में 2008 में नियुक्त दैनिक पारिश्रमिक भू–मापक (अमीन) नियमितीकरण नियमावली, 2015 में निर्धारित अहर्ताओं को पूर्ण नहीं करते है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित जिला के भू–मापकों (अमीन) को नियमितीकरण करने का विचार रखती है हां तो कब	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01 / मु0स्था0(तारां0)–18 / 2023.....817..... / रा0, राँची, दिनांक–01.03.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–149 / वि0स0 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/23

सरकार के उप सचिव।